# प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । इसे पूर्ण वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित प्रवेश के लिए घोषित अन्तिम तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय में प्रवेश समिति से जाँच करवा कर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं निर्धारित करें कि वह प्रवेश की पात्रता रखता है। प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता, आयु राज्य सरकार द्वारा आयोजित PTET परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयतानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित इस महाविद्यालय के लिए पात्रता होगी।

# प्रवेश पात्रता

1. वे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक/शास्त्री स्तर पर जिन विषयों में कम से कम दो वर्ष तक विश्वविद्यालयी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उक्त शिक्षण विषय हेतु महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, में ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
2. जिन अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण विषयों में से केवल एक ही शिक्षण विषय उपलब्ध कराया जा सकेगा, उन अभ्यर्थी को अपने द्वितीय शिक्षण विषय की तैयारी अपने स्तर पर ही करनी होगी। महाविद्यालय द्वारा इस शिक्षण विषय की सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नही होगा।
3. पी.एस.एस.टी. हेतु वे अभ्यर्थी जिन्होंने शास्त्री, स्नातक स्तर पर संस्कृत में कम से कम दो वर्ष तक विश्वविद्यालयी परीक्षा उतीर्ण की हो तथा उक्त शिक्षण विषय हेतु महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, में ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
4. सामान्य बी.ए. का अभ्यर्थी भी शिक्षा शास्त्री हेतु पात्र हैं। पर उसे विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित ब्रिज कोर्स में 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं।

# अभ्यर्थी के लिए निर्देश

1. आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिए तथा सभी दृष्टियों से सही एवं पूर्ण होनी चाहिए । यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो "लागू नही" लिखिये। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र सभी दृष्टियों से पूर्ण तभी माना जायेगा जब उसके साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की तीन–तीन सत्यापित प्रतियाँ संलग्न होगी ।
3. आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार ही होने चाहिए।
4. रेल तथा बस से यात्रा के लिए किराये में रियायत हेतु प्रमाणपत्र केवल महाविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश की अवधि के लिए ही उपलब्ध कराया जायेगा । अभ्यर्थी का स्थायी पता जो आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, के लिये ही उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अभ्यर्थी को अपना स्थायी आवास का पूर्ण पता फोन नम्बर सहित आवश्यक रूप से कार्यालय में देना है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो कारण सहित तुरन्त कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा ।
6. महाविद्यालय परिचय पत्र, पुस्तकालय कार्ड प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही दिया जायेगा ।
7. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना एवं फर्जी प्रमाण पत्र देने पर तथा महाविद्यालय में निरन्तर एक सप्ताह तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा । प्राचार्य से अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक है। महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमाकरा कर पुनः प्रवेश लेने पर ही नियमित छात्राध्यापक माना जायेगा।
8. शैक्षिक, प्रायोगिक एवं सहशैक्षिक कार्यो (सत्रीय एवं आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धी) को निर्धारित तिथि के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जावेगा।